

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद हाथरस में मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा सादाबाद-जलेसर मार्ग एस०एच०-122) किमी 49 के मध्य बांयी पटरी पर खसरा संख्या-1096 ग्राम सहपऊ तहसील सादाबाद जनपद हाथरस में स्थापित होने वाले रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.0781246 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/157266/2022)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-194/81-2-2023-800(184)/2023 दिनांक 13 जुलाई 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूट टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 11-07-2023 18:00:04

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-पी-194/81-2-2023-800(184)/2023

पेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई 2023

विषय- जनपद हाथरस में मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा सादावाद-जलेसर मार्ग एस०एच०-122) किमी 49 के मध्य बांयी पटरी पर खसरा संख्या-1096 ग्राम सहपऊ तहसील सादावाद जनपद हाथरस में स्थापित होने वाले रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.0781246 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/157266/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-4087/11-सी/एफपी/यूपी/अप्रोच/157266/2022 दिनांक 28.06.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हाथरस में मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा सादावाद-जलेसर मार्ग एस०एच०-122) किमी 49 के मध्य बांयी पटरी पर खसरा संख्या-1096 ग्राम सहपऊ तहसील सादावाद जनपद हाथरस में स्थापित होने वाले रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.0781246 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव विषयगत प्रस्ताव मूलरूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - प्रस्ताव की मूल प्रति तथा पेनड्राइव सहित।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 11-07-2023 17:59:42

(आशीष तिवारी)

Reason: Approved

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक अलीगढ़ वन अलीगढ़।
3. प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग हाथरस।
4. डिप्टी जनरल मैनेजर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० आगरा।
5. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव।